

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व ता  
जो इस हुक  
में ज

31/3  
21

पत्रावली पेश हुई / वकील उमप पण्डित  
 विप्या सं. 2 की ओरस कोर्ट, अकार पेश  
 नहीं हुआ अतः विप्या सं. 2 का अकार  
 कैंद किया जाता है / विप्या सं. 3 पुरख  
 में अपना अकार पेश नहीं करना चाहता है  
 अतः विप्या सं. 3 का अकार कैंद  
 किया जाता है / पुरख में वकील उमप  
 पण्ड की क्लरस सुनी गई / क्लरस में  
 पुरख तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन  
 के आधार पर उमप पण्ड को इस आशय  
 की आज्ञा दी गई कि विप्या सं. 2 का अकार  
 किया जाता है कि उमप पण्ड गणवाद के  
 निस्तारण तक मौजा गगवानपुरा  
 की खाला सं. 289 की आबादी नं० 63,  
 520, 1770/1247, 1777/84, 1811/1236,  
 1814/1245 कुल बीता - 6 कुल 2000  
 1.8100 हेक्टर भूमि के मौजा एवं  
 रेकार्ड की यथास्थित कनापे रखे / पत्रावली  
 फल सुमा अर्थात् नम्बर से कनापे

